[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 9/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (□□)

नई दिल्ली, तारीख 28 जून, 2017

सा.का.नि. .... **(अ)**--केंद्रीय सरकार, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर, किसी कटौतीकर्ता द्वारा, जो केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 51 के अधीन राज्य के भीतर माल या सेवा या दोनों की पूर्ति पर किसी पूर्तिकार से, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण संघ राज्यक्षेत्र कर से, इस शर्त के अधीन रहते हुए छूट प्रदान करती है कि कटौतीकर्ता उक्त केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 24 के उपखंड (vi) के साथ पठित उक्त संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 21 के अधीन अन्यथा रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी नहीं है ।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी होगी ।

[फा.सं. 354/117/2017-टीआरयू]

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार